रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112024-258591
CG-DL-E-12112024-258591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2024/कार्तिक 21, 1946
No. 640] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2024/KARTIKA 21, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 699(अ).—जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18), अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन अपराधों को आपराधिक श्रेणी से मुक्त करने के लिए उक्त अधिनियम का संशोधन करता है;

और केंद्रीय सरकार का मत है कि ई-अपशिष्ट(प्रबंधन) नियम, 2022 का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम,1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केंद्रीय सरकार का मत है कि ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ई-अपशिष्ट(प्रबंधन) नियम, 2022 का और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा किया जाएगा, अर्थात: - "**23. उल्लंघन हेतु कार्रवाई** –कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों का पालन करने में असफल रहता है या इनका उल्लंघन करता है, इस अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए दायी होगा।"

[फा. सं. 12/136/2021-एचएसएमडी]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण –मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 801(अ), तारीख 02 नवंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 61(अ), तारीख 30 जनवरी, 2023; सा.का.नि. 534(अ), तारीख 24 जुलाई, 2023 और सा.का.नि. 164(अ), तारीख 8 मार्च, 2024 द्वारा इनमें संशोधन किए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2024

G.S.R.699(E).—WHEREAS the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023) *inter alia* amends the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for decriminalising the offences under the said Act;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the E-Waste (Management) Rules, 2022;

AND WHEREAS sub-rule (4) of the rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the E-Waste (Management) Rules, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the E-Waste (Management) Rules, 2022, namely: -

1. (1) These rules may be called the E-Waste (Management) Second Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the E-Waste (Management) Rules, 2022, for rule 23 the following rule shall be substituted, namely: -

''23. Action for contravention. - Any person who fails to comply or contravenes the provisions of these rules shall be liable to a penalty in accordance with the provisions of section 15 of the Act.".

[F. No. 12/136/2021-HSMD]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Note. -The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 801(E), dated the 2nd November, 2022, and subsequently amended vide numbers G.S.R. 61 (E), dated the 30th January, 2023; G.S.R. 534 (E), dated the 24th July, 2023 and G.S.R. 164(E)., dated the 8th March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.11.12 20:10:06 +05'30'